न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2024/247 प्रार्थना पत्र

दायर दिनांकः– 07/10/2024

निर्णय दिनांक– 13/08/2025

अनवान

1. गजेन्द्रनाथ चौहान पिता किशोरनाथ राजपूत, निवासी काजियावास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, नाथद्वारा, जिला राजसमंद

विपक्षी

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से – श्री महेश वर्मा, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांक – 13/08/2025

प्रार्थना पत्र धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रस्तुत किया कि किया है कि राजस्व ग्राम काजियावास, पटवार हल्का उथनोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद में निम्न विवरण की कृषि आराजी संख्या 495, 496, 500, 501, 502, 503 कुल किता 06 कुल रकबा 1.7073 हैक्टेयर, आराजी संख्या 75 कुल किता 01 कुल रकबा 2.3269 हैक्टेयर, आराजी संख्या 04 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी संख्या 03, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 कुल किता 12 कुल रकबा 3.5788 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 05 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भुमियां स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ट अ, ब, स, द, य की कृषि भूमियां किशोरनाथ जी के खातेदारी आधिपत्य की थी जो विरासत से प्रार्थी के नाम विरासत से दर्ज हुई है। विरासत से प्रार्थी का नाम भायानाथ सह्वन से अंकित कर दिया है। प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

का नाम कभी भी भायानाथ नहीं रहा, आधार कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, विद्युत बिल व अन्य सभी कागजात में प्रार्थी का नाम गजेन्द्र नाथ चौहान है जिससे उक्त खाते में भायानाथ के स्थान पर गजेन्द्र नाथ चौहान का शुद्विकरण कराने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ट अ,ब,स,द,य में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थी का नाम भायानाथ अंकित है जो जमाबंदी संवत् 2076 से 2079में अंकन है। उक्त जमाबंदी में प्रार्थी का नाम विरासत से अंकन हुआ। विरासत अंकन कराते समय बोलता नाम सह्वन से भायानाथ अंकित कर दिया जबकि वास्तविक नाम गजेन्द्र नाथ चौहान है। प्रार्थी राजस्व रेकर्ड में भी अपना नाम भायानाथ के स्थान पर गजेन्द्र नाथ चौहान कराने का अधिकारी है। राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन किया है जिसका शुद्विकरण किया जाना आवश्यक है। विपक्षी द्वारा उक्त अशुद्वि अंकन वर्तमान जमाबंदी में की गई है जिससे शुद्विकरण किया जाना आवश्यक है एवं विपक्षी आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित परिशिष्ट अ, ब, स, द, य में वर्णित कृषि भूमियां में प्रार्थी का नाम भायानाथ के स्थान पर गजेन्द्रनाथ चौहान अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। विपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/666 दिनांक–10.06.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय नाथद्वारा के विचाराधीन प्रकरण संख्या 2024/247 गजेन्द्र नाथ बनाम सरकार में ग्राम काजियावास कि जमाबंदी खाता संख्या 80, 76, 83 एवं 82 में वर्तमान में खातेदार भायानाथ पिता किशोरनाथ हिस्से अनुसार दर्ज है पूर्व में उक्त भूमि भायानाथ पिता गरवरनाथ कि मृत्यु होने के उपरान्त विरासत से नामान्तरकरण संख्या 61 दिनांक 25.05.1989 से उक्त भूमि भायानाथ व अन्य वारिसान् के नाम दर्ज हुई है। वक्त नामान्तरणकरण प्रार्थी गजेन्द्रनाथ का नाम भायानाथ ही अंकित हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत अन्य दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम मायानाथ ना होकर गजेन्द्रनाथ है। जिससे प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना प्रार्थना पत्र सिद्व करने में सफल रहा है।

: : आदेश : :

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम काजियावास, पटवार हल्का उथनोल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद स्थित वादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 495, 496, 500, 501, 502, 503 कुल किता 06 कुल रकबा 1.7073 हैक्टेयर, आराजी संख्या 75 कुल किता 01 कुल रकबा 2.3269 हैक्टेयर, आराजी संख्या 04 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0759 हैक्टेयर, आराजी संख्या 03, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 कुल किता 12 कुल रकबा 3.5788 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 05 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर भूमियों की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित प्रार्थी का त्रुटिपूर्ण नाम मायानाथ पिता किशोरनाथ की शुद्धी करते हुए मायानाथ पिता किशोरनाथ के बजाय राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गजेन्द्रनाथ पिता किशोरनाथ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रक्षा पारिक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राज.)